महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 312 /XXIV-C-4/2021-01(07)/2020

प्रेषक

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तराखण्ड।
2. **कुलपति,**
   समस्त निजी विश्वविद्यालय,
   उत्तराखण्ड।
3. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।
4. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा निदेशालय,
   हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग– 4 **देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2021**

विषय– **कोविड–19 के कारण प्रभावित पठन–पाठन को ऑफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के समस्त सेमेस्टर को दिनांक 01.03.2021 से भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–1404/XXIV-C-4/2020-01(07)/2020, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 द्वारा कोविड–19 के कारण प्रभावित पठन–पाठन को ऑफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को दिनांक 15.12.2020 से भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त गाइडलाईन्स में प्रथम तथा अन्तिम सेमेस्टर की वे कक्षाएं (स्नातक / स्नातकोत्तर दोनों के लिए) जिन विषयों में Theory एवं Practical दोनों पढ़ाये जाने अनिवार्य हैं, ऑफलाईन कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने की अनुमति दी गयी है, शेष दिशा–निर्देश कोविड–19 के दृष्टिगत् सुरक्षात्मक उपाय से सम्बन्धित है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित में **दिनांक 01.03.2021 से** राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के समस्त सेमेस्टर को पूर्व की भाँति संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः शासनादेश संख्या–1404/XXIV-C-4/2020-01(07)/2020, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 में तदनुसार आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.03.2021 से राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के समस्त सेमेस्टर को पूर्व की भाँति संचालित करने का कष्ट करें। शासनादेश संख्या–1404/XXIV-C-4/2021-01(07)/2020, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 में उल्लिखित सुरक्षा कारणों से सम्बन्धित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन पूर्व की भाँति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– (1)/XXIV-C-4/2021-01(07)/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा/संस्कृत शिक्षा/गृह विभाग/न्याय विभाग/कृषि एवं कृषि शिक्षा विभाग/उद्यान विभाग/आपदा प्रबन्धन विभाग/चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण/सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9. अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 एवं 3 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित कुलपति को ई–मेल इत्यादि के माध्यम से अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पृ0सं0– डिग्री सेवा/विविध/ 9021 /2020–21, दिनांक 24–02–2021

प्रतिलिपिः समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालय, उत्तराखण्ड को उक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 कुमकुम रौतेला),
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।